



-प्रेस नोट-

दिनांक: 11-06-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर पुलिस द्वारा फाईनेंस कर्मियों से लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 38000/- रुपये बरामद

बरामदगी-

- लूटे गये 73880/- रुपयों में से 38000/- रुपये बरामद
- 01 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटी (बिना नम्बर प्लेट)
- 01 टैबलेट
- 01 तमंचा /01 जिंदा कारतूस .12 बोर(घटना में प्रयुक्त)
- 01 तमंचा /01 जिंदा कारतूस 315 बोर (घटना में प्रयुक्त)

अवगत कराना है कि दिनांक 06.06.2024 को वादी मोहित राणा पुत्र कुशलपाल राणा नि0 ग्राम भायला खुर्द ब्रान्च मैनेजर चैतन्य फाईनेन्स कम्पनी शाखा छुटमलपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत चैतन्य फाईनेन्स कम्पनी के कलैक्शन एजेन्टों के साथ तिवाया रोड पर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा लूटपाट कर कलैक्शन के 73880/- रुपये, 01 टैब व 01 मोबाइल फोन तथा बैग में रखे अन्य कागजात लूट लेने के सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0- 103/24 धारा- 341/392/506 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर फाईनेंस कर्मियों से लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा -निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद 04 अभियुक्तों 1. राकेश पुत्र नकल सिंह नि0 ग्राम रंडोल थाना बेहट जनपद सहारनपुर 2. सोनू पुत्र इन्द्रपाल नि0 ग्राम दाबकी गुर्जर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर 3. नितिन पुत्र वेदप्रकाश नि0 ग्राम दाबकी गुर्जर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर 4. रवि शर्मा पुत्र नन्दकिशोर शर्मा निवासी मोहल्ला गोकुलपुर कस्बा व थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर को जैन बाग के सामने तिवाया रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से फाईनेन्स कर्मियों से लूट की घटना में लूटे गये 73,880/- रुपये में से 38000/- रुपये, कम्पनी के कागजात, 01 टैबलेट, घटना में प्रयुक्त 01 डिस्कवर मोटरसाइकिल, 01 स्कूटी, 01 तमंचा / 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर, 01 तमंचा / 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411/120 बी भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त राकेश द्वारा बताया गया कि मैंने थाना बेहट क्षेत्र में भी लूट की घटना की थी जिसमें मैं कुछ समय पहले ही जेल से छूटकर आया था। जेल में मेरी मुलाकात दीपक से हुई थी

। जेल में हम दोनो की अच्छी दोस्ती हो गयी थी और हमने दोबारा लूट की घटना करने की योजना बनायी। इस योजना में हमारे साथ सोनू, नितिन, रवि शर्मा व सूडा भी हमारे साथ शामिल थे। दिनांक 06.06.2024 को मैं अपनी बहन के घर ग्राम सरगथल में था, वहाँ पर मेरी बहन के घर पर फाईनेन्स के दो कर्मचारी किशत लेने आये थे जिनके बारे में मैंने दीपक को बताया। तभी मैंने सोनू, नितिन व रवि को भी अपने पास बुला लिया और उनको बताया कि फाईनेन्स वाले बहुत सारे रुपये इकट्ठा लेकर यहाँ से दो-तीन घण्टे में अपनी ब्रान्च छुटमलपुर के लिये जायेंगे। मैंने तभी अपने इन साथियों को फाईनेन्स कर्मियों के चहरे दिखा दिए और उनका पीछा करने लगे। जैसे ही फाईनेन्स कर्मियों वाले सरगथल से सिम्भालकी अड्डे से तिवाया रोड पर आये तभी हम सभी ने तिवाया रोड पर जूस फैक्ट्री के पास अपने साथ लाये तमन्चा दिखाकर फाईनेन्स कर्मियों से बैग लूट लिया। जिसमें 01 टैबलेट, 73880/- रुपये नगद तथा कुछ कम्पनी के कागज मिले थे। लूटने के बाद हमने पैसे को आपस में बराबर- बराबर बाँट लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1. राकेश उर्फ डब्लू पुत्र नकल सिंह नि0 ग्राम रंडोल थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. सोनू पुत्र इन्द्रपाल नि0 ग्राम दाबकी गुर्जर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. नितिन पुत्र वेदप्रकाश नि0 ग्राम दाबकी गुर्जर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
4. रवि शर्मा पुत्र नन्दकिशोर शर्मा निवासी मोहल्ला गोकुलपुर कस्बा व थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर

गिरफ्तार अभियुक्त रवि शर्मा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 103/24 धारा- 341/392/506/411/120बी भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 153/2009 धारा- 109/41 सीआरपीसी थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर
3. मु0अ0सं0- 222/12 धारा- 109/41 सीआरपीसी थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर
4. मु0अ0सं0- 06/21 धारा- 136 विधुत अधिनियम थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर
5. मु0अ0सं0- 62/2011 धारा- 136 विधुत अधिनियम थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर

गिरफ्तार अभियुक्त राकेश उर्फ डब्लू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0- 103/24 धारा- 341/392/506/411/120बी भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 240/13 धारा- 392/411 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0- 259/13 धारा- 414 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0- 260/13 धारा- 25 आर्म्स एक्ट थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 197/13 धारा- 392/356/411 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 109/06 धारा- 457/380 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0- 356/13 धारा- 392/411 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➤ लूटे गये 73880/- रुपये में से 38000/- रुपये बरामद।

- 01 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटी बिना नम्बर प्लेट।
- 01 टैबलेट
- 01 तमंचा / 01 जिंदा कारतूस .12 बोर
- 01 तमंचा/01 जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री प्रवेश शर्मा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री जावेद खान प्रभारी सर्विलांस सैल जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 (यूटी) डैनी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
6. उ0नि0 (यूटी) कृष्ण कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
7. है0का0 831 सोनू ढाका थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
8. का0 398 नरदेव कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
9. है0का0 सोनू शर्मा सर्विलांस सैल जनपद सहारनपुर
10. है0का0 विनीत सर्विलांस सैल जनपद सहारनपुर
11. है0का0 मोहित कुमार सर्विलांस सैल जनपद सहारनपुर
12. है0का0 आकाश नेहरा सर्विलांस सैल जनपद सहारनपुर
13. है0का0 विनीत सर्विलांस सैल जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 11.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ (डोडा पाउडर) की तस्करी करने वाले 03 शातिर नशा तस्करों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 106 किलोग्राम अवैध डोडा पाउडर बरामद

बरामदगी:-

- 06 कट्टों में कुल 106 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट पाऊडर
- 01 टाटा ट्रक (रजिस्ट्रेशन नं0 – HR 55 AC 8961)
- 01 मारुति स्विफ्ट कार (रजिस्ट्रेशन नं0- UP 16 P 4017)

➤ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 25000/- रुपये का नकद पुरस्कार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री हृदय नारायण के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह की पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ (डोडा पोस्ट) की तस्करी करने वाले **03 शातिर नशा तस्करों** 1. संजय पुत्र ब्रहमपाल नि0 ग्राम नल्हेडा थाना नकुड जिला सहारनपुर 2. गुरप्रीत पुत्र यादवेन्द्र हाल नि0 नगला थाना सिखेडा जिला मु0नगर मूल नि0 ग्राम घनोली थाना को0नगर जिला रूपनगर पंजाब 3. सादिक पुत्र मुन्तयाज नि0 कसेरवा थाना शाहपुर जिला मु0नगर को तीतरो तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। **जिनके कब्जे से 06 कट्टों में कुल 106 किलो ग्राम अवैध डोडा पाउडर, 01 टाटा ट्रक(रजिस्ट्रेशन नं0 HR 55 AC 8961) व 01 मारुति स्विफ्ट (UP 16 P 4017) कार बरामद हुए। उपरोक्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार इनकी गतिविधियों की निगरानी की जा रही थी।** बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 227/2024 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने एक स्वर में बताया कि हम कम पढे लिखे हैं व ड्राईवरी व मजदूरी का कार्य करते हैं। जिसके कारण हमें अक्सर पैसों की कमी रहती है व हम सभी नशा करने के भी आदि हैं। अभियुक्त संजय उपरोक्त ने बताया कि पकडा गया ट्रक स्वाति ट्रांसपोर्ट कम्पनी में डाक पार्सल में चलता है मैं इसका ड्राईवर हूँ यह ट्रक स्वाति ट्रांसपोर्ट कम्पनी नाम पर रजिस्टर्ड है। हम लोग नशीला पदार्थ डोडा पोस्ट पाऊडर की तस्करी का काम करते हैं राजस्थान से डोडा पोस्ट पाऊडर यहां मंगवाकर होटल व ढाबो पर सप्लाई कर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। डाक पार्सल की आड में मैं राजस्थान से गुरप्रीत व उसके एक अन्य साथी के

कहने से माल उनके बताये स्थान से लाता हूँ। आज भी मैं यह माल उन्ही को देने गंगोह आ रहा था, कि पुलिस टीम द्वारा हमें पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों के नाम व पता –

1. संजय पुत्र ब्रहमपाल नि0 ग्राम नल्हेडा थाना नकुड जिला सहारनपुर
2. गुरप्रीत पुत्र यादवेन्द्र नि0 नगला थाना सिखेडा जिला मु0नगर
3. सादिक पुत्र मुन्तयाज नि0 कसेरवा थाना शाहपुर जिला मु0नगर

बरामदगी का विवरण:-

- 06 कट्टो में कुल 106 कि0ग्रा0 डोडा पोस्त पाऊडर।
- 01 टाटा ट्रक रजिस्ट्रेशन नं0 (HR 55 AC 8961)
- 01 मारुति स्विफ्ट कार रजिस्ट्रेशन नं0 (UP 16 P 4017)

1.गिरफ्तार अभियुक्त गुरप्रीत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0-30/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना रामराज जनपद मु0नगर
2. मु0अ0सं0- 227/24 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. व0उ0नि0 संजय शर्मा थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 विरेन्द्र कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. है0कां0 322 मोनू चिकारा थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. हे0का0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. हे0का0 376 सचिन चौहान थाना गंगोह जिला सहारनपुर
6. का0 1839 सन्नी थाना गंगोह जिला सहारनपुर
7. का0 922 वंश कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
8. का0 1929 जब्बाद थाना गंगोह जिला सहारनपुर
9. का0 688 प्रवीण थाना गंगोह जिला सहारनपुर



दिनांक- 11.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.06.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त शादाब पुत्र अमीर अहमद निवासी मौ0 माहीपुरा ट्रांसपोर्ट नगर से आगे जनकपुरी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर को बडकलां फ्लाई ओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 12 बोतल देशी शराब रसीला माल्टा हरियाणा मार्का बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 116/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

शादाब पुत्र अमीर अहमद निवासी मौ0 माहीपुरा ट्रांसपोर्ट नगर से आगे जनकपुरी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

12 बोतल रसीला माल्टा मार्का हरियाणा मार्का

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 404/22 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 18/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 199/22 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली मन्डी सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 200/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली मन्डी सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 83/23 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना जनकपुरी सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 07/2019 धारा 279/304-A/338 भादवि थाना नांगल सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 116/24 धारा 60/63 आब0अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आशीष कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. का0 1983 शमशेर अली थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. का0 2549 जिम्मी सागर थाना फतेहपुर सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 11.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले जाना वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 01.06.2024 को वादिया द्वारा थाना कुतुबशेर पर उपस्थित आकर एक प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्त गुल्लू उर्फ अंशुल पुत्र बाली उर्फ बाल सिंह निवासी ग्राम कुन्डी थाना सरसावा जिला सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 172/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अपहता की सकुशल बरामदगी, अभियुक्त की गिरफ्तारी करने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 11.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त नामजद अभियुक्त गुल्लू उर्फ अंशुल पुत्र बाली उर्फ बाल सिंह निवासी ग्राम कुन्डी थाना सरसावा जिला सहारनपुर को एलाईट पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार करते हुए, अपहता को सकुशल बरामद किया गया। साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376(3) भादवि व 4(2) पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गुल्लू उर्फ अंशुल पुत्र बाली उर्फ बाल सिंह निवासी ग्राम कुन्डी थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 882 सचिन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1105 सचिन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. म0है0का0 898 रूबी तोमर (सादे वस्त्रो मे) थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।